



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 244 / 40 / 76 / एक / 2019-20

दिनांक: 20/05/19

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

विषय—वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी०एल०सी०) के अन्तर्गत जनपद द्वारा अपलोड की गई लाभार्थियों की सूचना के आधार पर अभिकरण मुख्यालय द्वारा "Paid by Higher Level Agency A/C" के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बीएलसी) में जनपद द्वारा योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर जनपदवार लाभार्थियों की संख्या/सूची इस आशय से अपलोड की गई थी कि योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की धनराशि शासन के निर्देशानुसार लाभार्थी के खाते में सीधे स्थान्तरित की जाये। तदक्रम में जनपद द्वारा निम्न विवरणानुसार पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के क्रम में "PAID BY HIGHER LEVEL AGENCY A/C" के द्वारा धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में निम्नविवरणानुसार प्रेषित की जा चुकी है:

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			
			प्रथम स्तर धनराशि ₹० 50000.00 प्रति लाभार्थी	द्वितीय स्तर धनराशि ₹० 150000.00 प्रति लाभार्थी	तृतीय स्तर धनराशि ₹० 50000.00 प्रति लाभार्थी	कुल धनराशि (₹०) में
1	आगरा	286	286	0	0	14300000.00
	योग	286	286	0	0	14300000.00
2	अमरोहा	3	0	3	0	386349.00
3	अमरोहा	8	0	8	0	1176808.00
	योग	11	0	11	0	1563157.00
4	बुलन्दशहर	200	200	0	0	10000000.00
5	बुलन्दशहर	57	0	57	0	8550000.00
	योग	257	200	57	0	18550000.00
6	एटा	30	30	0	0	1500000.00
	योग	30	30	0	0	1500000.00
7	फर्रुखाबाद	3	0	3	0	375038.00
8	फर्रुखाबाद	8	0	8	0	1200000.00
9	फर्रुखाबाद	7	7	0	0	350000.00
10	फर्रुखाबाद	11	0	11	0	1650000.00
11	फर्रुखाबाद	8	0	0	8	400000.00
12	फर्रुखाबाद	10	0	0	10	418067.00
	योग	47	7	22	18	4393105.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभाथियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			
			प्रथम स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लाभा०	द्वितीय स्तर धनराशि रु० 150000.00 प्रति लाभा०	तृतीय स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लाभा०	कुल धनराशि (रु०) में
13	जी०बी०नगर	28	0	0	28	1400000.00
14	जी०बी०नगर	12	0	0	12	580845.00
15	जी०बी०नगर	29	0	0	29	1419340.00
16	जी०बी०नगर	1	0	1	0	147100.00
17	जी०बी०नगर	18	0	18	0	2700000.00
18	जी०बी०नगर	10	0	10	0	1471065.00
19	जी०बी०नगर	1	0	0	1	50000.00
20	जी०बी०नगर	20	0	0	20	970977.00
	योग	119	0	29	90	8739327.00
21	जालौन	4	4	0	0	200000.00
	योग	4	4	0	0	200000.00
22	कौशाम्बी	13	0	13	0	1950000.00
23	कौशाम्बी	8	0	8	0	1200000.00
	योग	21	0	21	0	3150000.00
24	लखनऊ	31	31	0	0	1550000.00
25	लखनऊ	114	0	114	0	17100000.00
	योग	145	31	114	0	18650000.00
26	मथुरा	14	0	14	0	2100000.00
27	मथुरा	1	0	1	0	150000.00
28	मथुरा	1	0	1	0	150000.00
29	मथुरा	106	0	106	0	15900000.00
30	मथुरा	3	0	3	0	450000.00
	योग	125	0	125	0	18750000.00
31	महराजगंज	15	0	15	0	1708395.00
	योग	15	0	15	0	1708395.00
32	मिर्जापुर	1	0	0	1	58380.00
33	मिर्जापुर	14	0	0	14	404908.00
	योग	15	0	0	15	463288.00
34	पीलीभीत	272	0	0	272	13600000.00
	योग	272	0	0	272	13600000.00
35	सहारनपुर	143	0	143	0	21450000.00
36	सहारनपुर	24	0	24	0	3067656.00
37	सहारनपुर	14	0	14	0	1916936.00
	योग	181	0	181	0	26434592.00
38	सम्मल	26	0	26	0	3294608.00
39	सम्मल	25	0	25	0	2465758.00
40	सम्मल	24	0	24	0	3066756.00
41	सम्मल	73	0	73	0	10950000.00
42	सम्मल	10	0	10	0	1391741.00
	योग	158	0	158	0	21168863.00
43	सुल्तानपुर	7	7	0	0	350000.00
44	सुल्तानपुर	12	0	0	12	600000.00
	योग	19	7	0	12	950000.00




क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			
			प्रथम स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लामा०	द्वितीय स्तर धनराशि रु० 150000.00 प्रति लामा०	तृतीय स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लामा०	कुल धनराशि (रु०) में
45	उन्नाव	32	0	32	0	4729186.00
	योग	32	0	32	0	4729186.00
	कुल योग	1737	565	765	407	158849913.00

1. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. लाभार्थी को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार किये गये है तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुरूप पात्र है।
4. मैनुअल आन माडल कोड ऑफ कन्डक्ट, मार्च 2019 के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा जारी पत्रांक 1564/कैम्प/नि.सूडा/2019 दिनांक 22.03.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

1. श्री योगेश आदित्य, सहा०परि० अधिकारी/वेबमास्टर/श्री नवीन अग्रवाल, सूडा।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद।
4. अपर निदेशक/निदेशक महोदय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

